

प्रेषक,

निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. उपनिदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण,  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. आहरण वितरण अधिकारी,  
/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, फतेहपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, फैजाबाद, गोण्डा, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ललितपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मुख्सिनपुर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, महोबा, कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, चित्रकूट, अमेठी, शामली एवं सम्बल। (52 जनपद)।

पत्रांक / 002डीबीए / ८३५ पि०व०क० / अधि०आव० / 2016–17 लखनऊदिनांक: ३० अगस्त, 2016

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 79 के अधीन लेखाशीर्षक, 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान मद में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या 6/2016/188/ 64–2–2016–1(01)/2016 दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार रु0 5,82,85,452 (रुपया पाँच करोड़ बयासी लाख पच्चासी हजार चार सौ बावन मात्र) की धनराशि मण्डलीय / जनपदीय कार्यालयों को निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती है:—

जनपद— लखनऊ कलेक्टरेट कोषागार से उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय का आहरण विभागीय डी०डी०ओ० कोड संख्या 4702 से किया जायेगा। उक्त जनपदीय / मण्डलीय कार्यालयों के बजट आबंटन का विवरण निम्नवत् है:—

(धनराशि रुपये में)

	01 वेतन	02 मजदूरी	03 म० भत्ता	06 अन्य भत्ते	08 कार्याल य व्यय	11 लेखन सामग्री	12 वग० फनीचर	13 टेलीफो० न पर व्यय	45 अव० यात्रा एवं अनु०	47 क० अनु०	49 चिं० व्यय	योग
लखनऊ कलेक्टरेट कोषागार												
जि०पि०व०क०अधि० लखनऊ	399604	40000	518014	509326	10000	5000	10000	3000	0	10000	19500	1524944
उपनिदेशक पि०व०क० लखनऊ मण्डल	599406	0	777021	764739	0	0	0	3000	3840	10000	10500	2168506
योग लखनऊ कलेक्टरेट कोषागार	999010	40000	1295035	1274565	10000	5000	10000	6000	3840	20000	30000	3693450

- 1— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—01/2016/बी—1—746/ दस—2016—231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—79 के लेखाशीर्षक '2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—आयोजनेत्तर—03—पिछड़े वर्गों का कल्याण—001—निदेशन तथा प्रशासन—03—मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3— आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4— आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त—पुरितिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5— समय—समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचिव/(1)/91, दिनांक 10—12—1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0—8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बञ्जर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7— आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0—8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8— आवंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9— यदि बी0एम0—8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण—वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—षत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11— एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12— कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप—मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि

महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्थाई से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

14— बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।

15— व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

1— मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।

2— प्रारम्भिक / व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण दिनांक 15.10.2016 तक।

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2016 तक।

4— वर्ष 2016–17 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2017 तक।

5— वर्ष 2016–17 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2017 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

( सुषमा रानी )

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

( सुरेश चन्द्र तिवारी )

निदेशक

पृष्ठ संख्या: 002 डीबीए / 835 / पि 0 व 0 क 0 / अधि 0 आवं 0 / 2016–17 तददिनांक प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उप्रोक्त शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु 0–2

2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उप्रोक्त इलाहाबाद।

3— सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

( सुषमा रानी )

  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

